

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या - 38/2014

वादीगण :-

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. बनाराम उर्फ बनाराम पुत्र श्री गूलाराम
2. हीराराम पुत्र हापूराम (फौत) के कायम मुकाम-  
2/1- श्रीमती रामदेवी पत्नि स्व. हीराराम  
2/2- राधेश्याम पुत्र स्व. हीराराम  
2/3- महेन्द्र पुत्र स्व. हीराराम  
2/4- समदा पुत्री स्व. हीराराम  
2/5- मंजू पुत्री स्व. हीराराम
3. हड़मानराम पुत्र हापूराम
4. मैना पुत्री हापूराम
5. मोहनी पुत्री हापूराम
6. कमला पुत्री हापूराम
7. गेरा पुत्री हापूराम
8. फेफादेवी पत्नि हापूराम
9. लक्ष्मण पुत्र उगराराम
10. दलीप पुत्र उगराराम
11. किरण पुत्री उगराराम
12. शारदा पुत्री उगराराम
13. सुशीला पत्नि उगराराम
14. चुतराराम पुत्र पुखराज
15. मंगाराम पुत्र पुखराज
16. अशोक पुत्र पुखराज
17. सम्पत पुत्री पुखराज
18. बेबू पुत्री पुखराज
19. आयचुकी पत्नि पुखराज (फौत)  
सभी जातियान माली निवासीगण बोरुन्दा  
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

1. रविन्द्र कुमार पुत्र हरनारायण (फौत) के कायम मुकाम-  
1/1-श्रीमती वेवी पत्नि रविन्द्र कुमार  
1/2-प्रमिला पुत्री रविन्द्र कुमार  
1/3-सीमा पुत्री रविन्द्र कुमार  
1/4-शैलू पुत्री रविन्द्र कुमार  
1/5-सोनू पुत्री रविन्द्र कुमार  
1/6-जितेन्द्र पुत्र रविन्द्र कुमार
2. रितु रमन पुत्र हरनारायण
3. अदिमदन पुत्र हरनारायण
4. लीला पुत्री हरनारायण
5. गुलाब पुत्री हरनारायण
6. संतोष पुत्री हरनारायण
7. विमला पुत्री हरनारायण
8. रामेश्वरी पत्नि सत्यनारायण (फौत) नाम तर्क किया हुआ है।  
सभी जातियान ब्राम्हण निवासीगण बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :-

1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री अब्दुल सलीम खान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 29.08.2024

वादीगण की ओर से सहायक कलेक्टर बिलाड़ा के समक्ष एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि - ग्राम बोरुन्दा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि 616 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम स्थित है जिसे वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसकी ताईद में वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1729 की सत्यप्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में शिवराम वल्द सरदारमल जाति ब्राम्हण निवासी बोरुन्दा की खातेदारी कब्जासुदा भूमि थी। शिवराम का देहान्त सन् 1968 के पूर्व हो चुका है उनका देहान्त होने के पश्चात् श्री मदनलाल पुत्र हरनारायण पिसरान् शिवराम ने वादग्रस्त भूमि का बैचान वादी सं.1 बनाराम तथा वादी सं. 2 से 7 के पिता व वादी सं.8 के पति तथा वादी सं. 9 से 12 के दादा एवं वादी सं. 13 के ससुर हापूराम तथा वादी सं.14 से 18 के पिता व वादी सं. 19 के पति पुखराज जी



को दिनांक 09.04.1968 को बरेवज रूपये 99 में बैचान कारकूट कर इस पर सभी प्रकार से कब्जा व अधिकार खरीददार को सुपुर्द कर दिया था उक्त बैचान 3 रूपये 75 पैसे के स्टाम्प लिखा गया जिसमें बैचानकर्ता मदनलाल व हरनारायण के हस्ताक्षर हैं एवं इस पर झूमरलाल व कामदार बचनसिंह की साखे हैं। उक्त स्टाम्प जमीन बैचान हेतु मदनलाल व हरनारायण के नाम पर मानसिंह द्वारा खरीदा गया उक्त बैचान सभी प्रकार से विधिसमत है एवं आज भी प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि के मदनलाल व हरनारायण ने अपने द्वारा उक्त बैचान लिखित दिनांक 9-4-1968 में वादग्रस्त जमीन का बैचान निनियानवे रूपये में किया जाकर इसमें उल्लेख किया कि बैचानकर्ता के पिता शिवराम जी का देहान्त हो चुका है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही विचाराधीन है शिवराम जी के तीन पुत्र बालकिशन, मदनलाल व हरनारायण हैं जिनमें से प्रतिवादी सं. 8 के ससुर बालकिशन जोधपुर रेलवे में नौकर हैं जिन्होंने पिताजी के जीवनकाल में बंटवाड़ा करवाकर जोधपुर की जायदाद अपने बंट में रख ली जिससे बोरुन्दा की जायदाद (वादग्रस्त भूमि) में उनका हक हिस्सा नहीं रहने का उल्लेख किया है तथा उक्तानुसार उक्त दोनो बैचानकर्तागण ने स्वयं को वादग्रस्त भूमि का एकमात्र खातेदार बताकर वादीगण सं. 1 एवं अन्य वादीगण के पूर्वज को वादग्रस्त भूमि का बैचान करना दर्शाया है तदनुसार वादग्रस्त भूमि में बैचान पश्चात् प्रतिवादीगण का हक हिस्सा कभी भी किसी भी रूप में नहीं रहा न मौके पर प्रतिवादीगण बैचान पश्चात् किसी भी हैसियत से काबिज ही रहे तथा वादग्रस्त भूमि पर बैचान पश्चात् हापूराम व पुखराज आजीवन वादी सं. 1 के साथ काबिज रहे उनके मरणोपरान्त वादग्रस्त भूमि पर एकमात्र खातेदार की हैसियत से वादी सं. 1 व अन्य वादीगण भौतिक रूप से काबिज है। वादग्रस्त भूमि के कानूनन हकदार वादीगण है तथा वे ही इस पर बतौर खातेदार काबिज हैं तथा उक्त बैचान बैचानकर्ता का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं होने तथा उसके पश्चात् चूँकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की सामलाती भूमि रही है तथा मौके पर कब्जे को लेकर आज दिन तक कोई विवाद नहीं रहा जिसके चलते वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण खरीददार/वादीगण के नाम समय पर नहीं दर्ज करवाया जा सका तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होने के कारण कंतागण/वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करने की आवश्यकता नहीं समझी न उन्होंने राजस्व रेकर्ड की नकले ही ली है। हाल ही में करीब 4 माह पूर्व बैचानकर्ता व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के पिता एवं 7 के पति हरनारायण जी का देहान्त हुआ तथा इसके पश्चात् प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 ने इस सम्बन्ध में वादग्रस्त जमीन को अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु कार्यवाही की जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 के प्रतिनिधि हल्का पटवारी ने वादग्रस्त जमीन पर कब्जा प्रतिवादीगण का नहीं होने पर इस संबंध में पड़ताल की एंवम इसकी जानकारी वादीगण को मिलते ही दिनांक 08.06.2012 को उन्होंने वादग्रस्त जमीन की राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाई तब वादीगण को वादग्रस्त जमीन के संबंध में हकीकत की जानकारी हुई जिस पर उन्होंने उक्त बैचान लिखित प्रतिवादी सं. 9 के प्रतिनिधि हल्का पटवारी को सुपुर्द कर इस आधार पर वादग्रस्त भूमि को उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने को कहा जिस पर उन्होंने अन्य प्रतिवादीगण के साथ होकर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने से मना कर दिया एवं अन्य प्रतिवादीगण ने भी वादीगण को एलानिया कहा कि वादग्रस्त जमीन उनकी खातेदारी की है जिसे वे हर हाल में कब्जा करके रहेंगे। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर खरीद की दिनांक से आज दिनांक तक निरन्तर निर्विवाद कब्जाकाशत चलता आ रहा है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वयं को प्रथमतः बैचान व दायम विपरित कब्जे के आधार पर स्वयं को खातेदार काशतकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण का कब्जा छुड़ाने का दावा लाने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में बैचान पश्चात् हुए समस्त राजस्व इन्द्राज

29/8/12  
 राजस्व विभाग  
 जयपुर

वादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये वगैर उनकी गैर मौजूदगी में बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये किये जाने के कारण वादीगण के हितों के विरुद्ध सर्वथा बेअसर व शून्य है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का कतई अधिकार नहीं है। अन्त में इस्तदुआ चाही कि-वादग्रस्त भूमि ग्राम बोरुन्दा रिथत खसरा नं. 616 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा का वादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा, वादीगण सं. 2 से 13 को 1/3 हिस्सा तथा वादीगण सं. 14 से 19 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी रीति से दखल नहीं करने व न अन्य किसी के मार्फत दखल करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी सं. 9 को आदेशित किया जावें खर्चा वाद प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे।

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की गई। इस दरम्यान नवसर्जित तहसील पीपाड़ शहर हो जाने से उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई जिस पर वाद दिनांक 19.08.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 की और से अधिवक्ता अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा पेश किया व जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने इस पद में वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड का हवाला दिया जो सही है। वादीगण द्वारा कथित यह कथन कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में शिवराम वल्द सरदारमल जी जाति ब्राम्हण निवासी बोरुन्दा वालो की खातेदारीसुदा व कब्जासुद्धा भूमि रही है इस हद तक प्रतिवादीगण इसको स्वीकार करते है इसके अलावा इस पद में वादीगण द्वारा जो तथ्य अंकित किये गये है वे सभी तथ्य मनगढंत आधारहीन होने के कारण प्रतिवादीगण अस्वीकार करते है। वादीगण ने इस पद के तथ्य केवल मात्र वादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी रूप से हड़प करने की बदनियती से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कथित किये है इस कारण इस पद में कथित किये गये सभी कथन प्रतिवादीगण अस्वीकार करते है वादग्रस्त आराजी का बेचान कभी भी स्व मदनलाल व हरनारायणजी द्वारा वादीगण के पूर्वजों को नहीं किया न ही वादीगण को किया इस कारण भी इस पद के सभी तथ्य झूठे होने के कारण प्रतिवादीगण अस्वीकार करते है। दिनांक-09.04.1968 को मदनलाल व हरनारायण द्वारा वादग्रस्त आराजी का 99 रूपये में बेचान शिवराम जी के देहान्त पश्चात नहीं किया था और न ही मदनलाल व हरनारायण को उक्त वादग्रस्त आराजी बेचान करने का कतई कोई अधिकार प्राप्त था ऐसी स्थिति में उक्त पद के पढने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है कि इस पद के तमाम तथ्य मनगढन्त, कपोल कल्पिक रूप से कथित किये गये है जो केवल मात्र वादग्रस्त आराजी को हड़प करने की बदनियती से मनगढंत रूप से तथ्य कथित कर इस पद में वर्णित किये है। जब मदनलाल व हरनारायण को बेचान करने का अधिकार ही नहीं था तो वादग्रस्त आराजी के बेचान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण ने कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो अस्वीकार्य है। वादग्रस्त आराजी कतई वादीगण की सामलाती भूमि नहीं रही है न ही सन् 1968 से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण ने इस पद के सभी तथ्य अपने बदनियतीपूर्ण भूमि को हड़प करने की व अपने हित साधने की गरज से कथित किये है जिन्हें प्रतिवादीगण अस्वीकार करत है। इस पद में कथित यह कथन कि मदनलाल हरनारायण का देहान्त हो चुका है स्वीकार्य है शेष सभी कथन वादीगण ने केव मात्र झूठा वादपत्र तैयार करने की गरज से मनगढंत तथ्य कथित कर इस पद में कथित किये है जिनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। झूठे आधारो पर इस पद को कथित किया गया है। इस

29/8/13  
 न्यायालय  
 पीपाड़ शहर (अधिसूत्र)

कारण व वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण इस पद को सिरे से खारिज कर अस्वीकार करते हैं। वादीगण ने झूठे कथन केवल मात्र वादकारण दर्शाने की बदनियती से झूठे कथित किये गये तथ्यों को इस पद में दोहराया है जबकि वादग्रस्त आराजी की आज दिन तक प्रतिवादीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, पुश्तैनी भूमि रही है। इस कारण इस पद को भी प्रतिवादीगण अस्वीकार करते हैं। वादीगण ने वाद सन् 1968 के दस्तावेजों की पालना करवाने हेतु 2012 में वादपत्र प्रस्तुत किया है जो अत्यधिक देशीना होने के कारण मयाद बाहर है इस कारण खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 8 कानूनी होने के कारण जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं है। वादीगण ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर यह वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी आज दिन तक प्रतिवादीगण के पिता हरनारायण के नाम की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि है जिस पर आज दिन तक प्रतिवादीगण के पूर्वज व उनके देहान्त के पश्चात् प्रतिवादीगण कब्जा काशत है। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रतिवादीगण के परिवारजना के मध्य समय समय पर विभिन्न न्यायालयों में राजस्व वाद, अपील विचाराधीन रही है जिनमें भी उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण की कब्जासुदा व खातेदारीसुदा बताया गया। उक्त वाद सहायक जिलाधीश बिलाड़ा में वाद संख्या 59/84 रामेश्वरीदेवी बनाम हरनारायण वगैराह के उनवान से चला था जो अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हुआ उसमें भी वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण की कब्जासुदा व खातेदारीसुदा बताया गया है तथा राजस्व अपील 20/2001 न्यायालय जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर में भी विचाराधीन रहा उसमें भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की कब्जासुदा व खातेदारीसुदा रही है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पूर्वज कब्जाकाशत आज दिन तक रहे हैं। वादग्रस्त आराजी से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रतिवादीगण ने सहकारी बैंकों से भी लाभ प्राप्त किया है। उक्त सभी प्रतिवादीगण के मध्य वाद प्रतिवाद, अपील, रिविजन वगैराह वादग्रस्त आराजी बाबत् हुए व सभी तथाकथित वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा सन् 1968 जो कि कूटरचित है के पश्चात् के हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी आज दिन तक प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जासुदा रही है न कि वादीगण की इस कारण उक्त वादपत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है तथा वादीगण ने वादपत्र दस्तावेज की पालना करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी भी दस्तावेज की वैधानिकता तय किये बगैर श्रीमान न्यायालय से वादीगण उक्त दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं न ही न्यायालय किसी दस्तावेजी या लिखित इकरारनामा की पालना करवाने का क्षेत्राधिकार रखता है। उक्त वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है व अन्त में निवेदन किया कि लिहाजा जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के सादर आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण के जवाबदावा का वादीगण ने न्यायालय की अनुमती लेकर जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा भूमि है बैचान दस्तावेज दिनांक 09.04.1968 अनुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण खरीददार के पक्ष में हल्का पटवारी ने खोला था एवं उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बोरुन्दा के समक्ष पेश किया जिस पर दिनांक 14.06.1968 को प्रस्ताव संख्या 9 लिया गया। वादग्रस्त भूमि हापूराम, पुखराज, बनाराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत का आदेश किया हुआ है। उक्त दिनांक को अन्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये हैं। तत्पश्चात् हरनारायण ग्राम पंचायत बोरुन्दा का

29/8/2012  
 जिला कलेक्टर  
 जोधपुर (राजस्थान)  
 जिला कलेक्टर (राजस्थान)

सरपंच बन गया जिसने वादीगण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण हल्का पटवारी से गायब करवा दिया। उक्त दिनांक को स्वीकृत किये गये अन्य म्यूटेशन आज भी रेकॉर्ड में मौजूद है। वक्त खरीद से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीगण के नाम से खसरा गिरदावरी बनी हुई है एवं वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ पत्थरो की दीवार व पट्टिया खड़ी करके तारबंदी की हुई है। वादीगण ने आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा भी कर रखा है। वादग्रस्त भूमि सड़क की तरफ तीनो भागो में विभक्त है। पूर्वी 1/3 भाग पुखराज के वारिसान के बन्ट में आया हुआ है। बीच में हापूराम के वारिसान के बन्ट में 1/3 भाग आया हुआ है। पश्चिमी 1/3 भाग बनाराम के बंट में आया हुआ है। तीनों के निकाल पर लोहे की फाटक लगे हुए हैं एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पशुओं को बांधने के बाड़े बने हुए हैं व रहवासीय ढाणियां बनी हुए हैं एवं फसले खड़ी हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज हो रखे हैं। वादग्रस्त भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। वादग्रस्त भूमि दिनांक 09.04.1968 को वादीगण द्वारा खरीद की हुई है। बैचान दस्तावेज अनुसार हल्का पटवारी ने वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोला एवं स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत बोरुन्दा में पेश किया दिनांक 14.06.1968 प्रस्ताव संख्या 9 में लिया गया एवं वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। वादीगण के पक्ष में खसरा गिरदावरी बनी हुई है एवं वादीगण ने समय समय पर वादग्रस्त भूमि की बीघोड़ी भी वादीगण ने राज्य सरकार में जमा करवा रखी है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वक्त खरीद से अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से स्थापित कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी रूप से हड़प करने की बदनियती से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कथित किये हैं। जबकि वास्तविकता में वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैचान दिनांक 09.04.1968 कानूनन वैध दस्तावेज है जिस पर बैचानकर्ता के हस्ताक्षर किये हुए हैं एवं साखे भी डाली हुई है एवं वक्त खरीद से वादीगण का कब्जाकाश्त है एवं वादपत्र के पद संख्या दो में वर्णित तथ्य सही है। वादग्रस्त आराजी का बैचान स्व. शिवराम के स्वर्गवास के पश्चात् मदनलाल व हरनारायण ने वादीगण के पक्ष में किया था। स्व. शिवराम के विरासत का नामान्तरकरण मदनलाल व हरनारायण के नाम स्वीकृत किया हुआ है। दिनांक 09.04.1968 को वादग्रस्त भूमि के खातेदार मदनलाल, हरनारायण पी. शिवराम थे। उक्त दिनांक को मदनलाल व हरनारायण को वादग्रस्त भूमि बैचान करने का कानूनन अधिकार था। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वक्त खरीद से अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि बोरुन्दा से पीपाड़ जाने वाली डामर सड़क के चिपते दक्षिण दिशा में स्थित है एवं मौके की कीमती भूमि होने से प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई है। वादीगण के बाले बाले प्रतिवादीगण ने स्व. हरनारायण का वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन भरवाने का प्रयास किया जिसकी जानकारी वादीगण को होते ही वादीगण ने ग्राम पंचायत बोरुन्दा में शिकायत की जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2014 ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 लिया एवं प्रतिवादीगण के नाम म्यूटेशन स्वीकृत नहीं किया। प्रतिवादीगण ने उक्त पद में सरासर मिथ्या तथ्य अंकित किये हैं। वादपत्र में वर्णित तथ्य सही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वक्त खरीद से यानि दिनांक 09.04.1968 से लगातार आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से अभिलिखित खातेदार काश्तकार के कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पशुओं को बांधने हेतु बाड़े बने हुए हैं एवं रहवासीय ढाणी बनी हुई है एवं वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। मौके पर आज भी वादीगण की फसलें खड़ी हैं। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का

चक्र  
 5 नवंबर 2014  
 5 नवंबर 2014  
 5 नवंबर 2014

कब्जा नहीं है। जबकि वास्तविकता में वक्त खरीद से वादीगण का शान्तिपूर्वक कब्जाकाशत चला आ रहा है। जो जगजाहिर है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा वक्त खरीद से है। वादीगण के पक्ष में खसरा गिरदावरी की हुई है वादीगण ने विगोड़ी भी जमा करवा रखी है वादीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया हुआ है। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं है। जबकि वक्त खरीद से वादीगण का कब्जाकाशत चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने उक्त पद में सरासर मिथ्या तथ्य अंकित किये हैं। दिनांक 08.06.2012 को वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादकारण उत्पन्न होने पर उक्त वाद पेश किया है प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक प्रतिवादीगण खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, पुश्तैनी भूमि रही है। जबकि वास्तविकता में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि नहीं है। न ही प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त खरीद से वादीगण का अभिलिखित खातेदार काशतकार की हैसियत से कब्जाकाशत चला आ रहा है। वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैचाननामा दिनांक 09.04.1968 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम व रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनन वैध दस्तावेज है। वादीगण का वाद दस्तावेज की पालना का नहीं होकर खातेदारी घोषणा का है एवं वादीगण का वाद अंदर मियाद पेश है। बैचान दस्तावेज दिनांक 09.04.1968 कानूनन वैध दस्तावेज है। कतई कूट रचित दस्तावेज नहीं है। वादग्रस्त भूमि हरनारायण के नाम गलत इन्द्राज हो रखी है। वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त खरीद से वादीगण का कब्जाकाशत है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व न्यायालय में वाद, अपीले, विचाराधीन रही हो तो वादीगण को जानकारी नहीं है अगर प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होता तो अवश्य ही प्रतिवादीगण राजस्व अधिकारियों से कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाते। प्रतिवादीगण ने वादीगण के बाले बाले दावे व अपीलें पेश करके वादग्रस्त भूमि हड़पने का प्रयास किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने कभी भी सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने आज दिन तक बैचान दिनांक 09.04.1968 को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश नहीं किया है न ही फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रतिवादीगण ने उक्त पद में सरासर बनावटी तथ्य अंकित किये हैं। वादग्रस्त में अंकित तथ्य सही है एवं अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि जवाबुल जवाब पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमाया जावे।

वादीगण के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा व वादीगण के जवाबुल जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई -

(1) आया ग्राम बोरुन्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

(जिम्मे - वादीगण)

(2) आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

(जिम्मे - वादीगण)

29/8/18  
 न्यायालय  
 जवाबुल जवाब  
 न्यायालय (विभाग)

(3) आया वादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी तरीके से हड़पने के लिए वादीगण ने बदनियती से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झुठा दावा पेश किया है जो विधि द्वारा प्रवृत्तनित नहीं है ?

(जिम्मे - प्रतिवादीगण)

(4) आया वादपत्र 1968 के इकरारनामे को आधार बनाकर पेश किया है जो अत्यधिक देरी ना होने के कारण म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(जिम्मे - प्रतिवादीगण)

(5) आया वाद 1968 के इकरारनामे की पालना हेतु पेश किया है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

(जिम्मे - प्रतिवादीगण)

(6) आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है?

(जिम्मे - प्रतिवादीगण)

(7) अन्य अनुतोष?

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी PW-1 बनाराम उर्फ बनाराम पुत्र मूलाराम, PW-2 जीयाराम पुत्र भीखाराम, PW-3 दिलीप भंवरिया पुत्र प्रभुराम, PW-4 लूणाराम पुत्र रामूराम, PW-5 मिसाराम पुत्र धनाराम, PW-6 केवलराम पुत्र गंगाराम PW-7 चुतराराम पुत्र पुखराज, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये, जिनसे प्रतिवादीगण द्वारा जिरह पूर्ण की गई। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श EXP-1 जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068, EXP-2 विक्रय विलेख, EXP-2ए विक्रय विलेख की फोटो प्रति, EXP-3 जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031, EXP-4 जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 EXP-5 ना.सं. 2154, EXP-6 ना.सं. 1401, EXP-7 ग्राम पंचायत बोरुन्दा द्वारा दिनांक 14.09.1968 को लिया गया प्रस्ताव सं. 8 व 9 की प्रमाणित प्रति, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श EXP-7ए हैं। खसरा गिरदावरी प्रदर्श EXP-8, 9 हैं। नामा. सं. 381 से 500 प्रदर्श EXP-10 से EXP-128 हैं। ग्राम पंचायत बोरुन्दा के प्रस्ताव दिनांक 05.09.2014 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श EXP-129 हैं, EXP - 130 व 131 बिगोड़ी रसीद है तथा वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स प्रदर्श EXP- 132 से 144 प्रदर्श करवाये तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श- EXP -145 प्रदर्श करवाये गये। वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2)R.R.T पेज 873, 2014 (1)R.R.T पेज 314 व 2024 (1)R.R.T पेज 625 पेश किये।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में DW-1 स्वयं प्रतिवादी रितू रमन पुत्र हरनारायण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, जिरह अधिवक्ता वादीगण द्वारा पूर्ण की गई प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श EXD -1 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश निगरानी की प्रमाणित प्रति, EXD -2 न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर में पेश राजस्व अपील, EXD -3 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा रिविजन में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति हैं। EXD -4 रामेश्वरी देवी के बयान की प्रमाणित प्रति। EXD -5 जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 की प्रमाणित प्रति। EXD -6 नामा.सं. 1401 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श करवाये।

29/8/24  
 महाश्वर न्यायालय  
 जोधपुर (जोधपुर)

बहस उभयपक्ष अधिवक्ताओं की सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र एवं जवाबुल जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेजी साक्ष्य, विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968, ग्राम पंचायत बोरुन्दा द्वारा दिनांक 14.06.1968 के प्रस्ताव सं. 8 व 9 तथा ग्राम पंचायत बोरुन्दा द्वारा दिनांक 05.09.2014 को लिए गये प्रस्ताव सं. 3, खसरा गिरदावरी, बिगाड़ी रसीद, राजस्व प्रा.प.सं. 62/2014 बनाराम बनाम रविन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2016, रंगीन फोटोग्राफ्स व अन्य दस्तावेजात के बारे में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि फर्जी बेचाननामा पर आज दिन तक कोई एफआईआर/आपति किसी न्यायालय में नहीं। प्रस्ताव सं. 8 में शिवराम फौत का नामान्तरण पेश स्वीकार लेकिन नामान्तरण गलत। प्रस्ताव सं. 9 में बेचान का प्रस्ताव 40 नामान्तरण भरे सभी है केवल 2 नामान्तरण नहीं। रामेश्वरी ने स्वयं स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी की बीहोड़ी वादीगण भर रहे हैं। 100 से कम का बेचान दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक नहीं रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 65, 17। 1989 में पंजीयन आवश्यक किया पहले आवश्यक नहीं था। 2016 का स्थगन आदेश न्यायालय हाजा को चलेज नहीं। 2014 में नामान्तरण की कोशिश लेकिन खारिज पंचायत के निर्णय को चलेज नहीं। खातेदारी घोषणा में म्याद का कोई बिन्दु नहीं। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी रूप से हड़पने की बदनियती से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कथित किये है। मदनलाल, हरनारायण ने वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया है, वादीगण का कब्जा नहीं है, वादपत्र बहुत ही देरीना पेश किया हुआ होने से मियाद बाहर है, प्रतिवादीगण का कब्जाकाशत है वादीगण ने वादपत्र दस्तावेज की पालना करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपनी ओर से पेश दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी व बेचान दोनो एक साथ नहीं चल सकते। 1968 से पूर्व शिवराम फौत का कोई दस्तावेज/गवाह/तारीख नहीं। 1968 में मदनलाल हरिनारायण खातेदार नहीं फिर बेचान कैसे। प्रस्ताव की प्रति राजस्व कर्मचारियों ने नहीं दी क्योंकि प्रस्ताव ही गलत था हिम्मत नहीं? प्रस्ताव किसने रखा? क्या दस्तावेज रखा कोई हवाला नहीं? अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट, दस्तावेज अपंजीकृत स्टाम्प पूरे नहीं नोटेरी प्रमाणित नहीं, दस्तावेज मान्य नहीं। 1976 तक गिरदावरी शिवराम के नाम से, जबकि फौत 1968 प्रस्ताव से जानकार फिर दावा क्यों नहीं। दावे की तारीख का रेकॉर्ड नहीं, वादकारण पेश नहीं, बीघोड़ी की रसीद पर खसरानम्बर नामान्तर नहीं मान्य नहीं? शिवराम फौत का नामा.सं. 1401 1976 में दर्ज फिर बेचान 1968 में कैसे बिना खातेदारी बेचान नहीं। 2514 नामा. 1983 में भरा चलेज नहीं। EXP. D 5 2053 - 56 पर कोई आपति नहीं। राजस्व मण्डल में जेरकार रहा। कभ आपति नहीं। फोटो से किसी को कोई साबित नहीं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा वादीगण व प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य का परिशिलन ध्यानपूर्वक किया गया। वादीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादपत्र में विचरित तनकियात का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है—

**तनकी संख्या— 1** आया ग्राम बोरुन्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि होने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया। प्रदर्श— 2 विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 का अवलोकन किया विक्रय पत्र में अंकित किया हुआ है कि ग्राम बोरुन्दा की सरहद में जमीन खेत खसरा नम्बर 616 क्षेत्रफल 15 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम स्थित है यह भूमि हमारे

29/8  
 महाक...  
 उप...  
 ...

खातेदारी की पुश्तैनी कब्जा सुद है जिसका पर्चा लगान हमारे पिता शिवराज जी के नाम का है शिवराम जी का देहान्त हो चुका है जिसके नाम हमारे नामान्तरकरण करवाने की कार्यवाही पटवारी बोरुन्दा के पास जेर तजवीज है हम तीन भाई बालकिशन, मदनलाल, हरनारायण है जिसमें बालकिशन जी जोधपुर रेल्वे में नौकर है हमने हमारे पिताजी के जीते जी बंटवाड़ा किया जिसमें बोरुन्दा की सम्पत्ति में उनका हक नहीं रखा गया, जोधपुर की जायदाद उनको दी गई इस प्रकार इस भूमि के काबिल मालिक हम हैं, हमें इस भूमि को आपको बेचने का पूर्ण अधिकार है, आज दिन हम इस भूमि पर खातेदारी टिनेन्ट की हैसियत से काबिज है। उपरोक्त खसरा नम्बर 616 की भूमि के खातेदारी हकूक हमने आपको रूपये 99 रूपये अक्षरे निनानवे रूपये में कर दिया है और इस भूमि पर कब्जा आपको बतौर काशत के है जा अब आप खातेदार टिनेन्ट की हैसियत से काबिज रहेंगे। तथा बेचान की गई भूमि के पड़ौस भी अंकित कर रखे है। ग्राम पंचायत बोरुन्दा द्वारा दिनांक 14.06.1968 को लिये गये प्रस्ताव संख्या 8 व 9 प्रदर्श-07 में प्रस्ताव संख्या 8 नामान्तरकरण श्री मदनलाल, हरनारायण पुत्र शिवनारायण का भरा हुआ पेश हुआ शिवनारायण फौत हो चुका है उसके जायन्दा लड़के मदनलाल, हरनारायण के नाम नामान्तरकरण कर दिया गया है तथा प्रस्ताव संख्या 9 नामान्तरकरण श्री मदनलाल, हरनारायण का भरा हुआ पेश हुआ श्री मदनलाल, हरनारायण ने खसरा नम्बर 616, बीघा 15 बिस्वा 7 का बेचान हापूराम, पुखराम बनाराम को कर कब्जा कर दिया है। इनके नाम नामान्तरकरण कर दिया गया है। ग्राम पंचायत बोरुन्दा द्वारा दिनांक 05.09.2014 को प्रस्ताव संख्या 3 लिया गया, म्यूटेशन संख्या 6663 को श्री चुतराराम, जबराराम, हीराराम, लक्ष्मण की लिखित शिकायत के साथ दिनांक 09.04.1968 की रजिस्ट्री जो मदनलाल, हरनारायण ने 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री हापूराम, पुखराज, पनाराम माली को ख.नं. 616 में से खरीद की गई जिसका पंचायत बैठक दिनांक 14.06.1968 के प्रस्ताव संख्या 8 के द्वारा बेचान का नामान्तरकरण पारित होने के बाद भी म्यूटेशन राजस्व रेकॉर्ड में नहीं होने के कारण इस भूमि मे रामेश्वरी देवी व अन्य वारिसान के नाम म्यूटेशन भर दिये जाने के कारण इस खसरे में मदनलाल, हरनारायण का हिस्सा 1/2 रह गया चूँकि इन भाईयो के आपसी बंटवाड़े में ख.नं. 616 की भूमि हरनारायण व मदनलाल के बंट में दी गई ख.नं. 615 की भूमि इनके अन्य भाईयो के बंट में थी उस भूमि पर हरनारायण के वारिसान को बेचान का कोई अधिकार नहीं है इसलिए दोनो पक्षो को सुनकर उचित निर्णय होने तक इस म्यूटेशन को रोकने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। राजस्व प्रा.प.सं. 62/2014 बनाराम बनाम रविन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2016 में आदेश पारित किया कि-“अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोरुन्दा के खसरा नम्बर 616 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि की वाद के विचारण तक अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें न ही वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण करे एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।” उक्त आदेश की अपील प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य में गवाह बनाराम उर्फ बनाराम पुत्र मूलाराम, चुतराराम पुत्र पुखराज, गवाह दीलीप भंवरिया पुत्र प्रभुराम, जीयाराम पुत्र भीखाराम, लूणाराम पुत्र रामूराम, मिसाराम पुत्र धनाराम, केवलराम पुत्र गंगाराम ने वादग्रस्त भूमि वादीगण की खरीदसुदा, कब्जाकाशत बताया है जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में भी वादीगण का कब्जा काशत साबित है। प्रतिवादीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 को कूटरचित दस्तावेज बताया है लेकिन प्रतिवादीगण ने प्रदर्श- 2 दस्तावेज को कूटरचित साबित नहीं कर सके प्रतिवादीगण ने विक्रय विलेख की एफ.एस.एल नहीं करवाई न ही धोखाधड़ी का मुकदमा पुलिस में किया है। प्रतिवादीगण ने मात्र जवाबदावा में विक्रय विलेख को कूटरचित दस्तावेज बताया है, जिसको साबित करने

29/8/2014  
 राजस्व विभाग  
 जयपुर

का भार प्रतिवादीगण पर है लेकिन प्रतिवादीगण ने दस्तावेज कूटरचित साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2)R.R.T पेज 873 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89, 91, 92 "ए" व 188 - पंजीयन अधिनियम 1908 धारा 17 - राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया व वाद डिकी किया-अपंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा भूमि हस्तान्तरित की-विक्रय विलेख का मूल्य 100/-रूपये से कम था-दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक नहीं था। "Burden to prove that will be playing a fraud, is on person who alleges it to be so. प्रतिवादीगण विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 को कूटरचित साबित नहीं कर सके। इसलिए मेरी विनम्र राय में विक्रय विलेख सही निष्पादित हो रखा है। जिसका रजिस्ट्रेशन कानूनन आवश्यक नहीं है। मैं वादीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) R.R.T पेज 314 में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत हूँ कि 100/-रूपये अधिक कीमत की सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन संशोधन दिनांक 18.09.1989 द्वारा आज्ञापक किया गया, संशोधन को विगत प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968, 99/-रूपये प्रतिफल का है पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से एकमात्र गवाह रितू रमन न्यायालय में परिक्षित हुआ जिसने दस्तावेज प्रदर्श करवाये उसमें किसी भी न्यायालय का कोई निर्णय नहीं था एवं मौखिक साक्ष्य में जिरह में स्वीकार किया कि विवादित जमीन मेरे नाम नहीं है मेरे पिताजी के नाम है जवाबुल जवाब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। विवादग्रस्त भूमि और बेचान की गई भूमि मदनलाल और हरनारायण दोनों भाईयो की थी प्रदर्श -2 बेचान को मैं मानता ही नहीं इसलिए मैंने इसको निरस्त करने हेतु कार्यवाही नहीं की, धोखाधड़ी का मुकदमा मैंने पुलिस में नहीं किया, प्रदर्श-2 के आधार पर पटवारी ने नामान्तरकरण खोला तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, प्रदर्श-2 के आधार पर पटवारी ने नामान्तरकरण खोला तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है ग्राम पंचायत बोरुन्दा ने दिनांक 14.06.1968 को प्रस्ताव संख्या 8, 9 लेकर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण हापूराम, पुखराज, बनाराम के नाम स्वीकृत किया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी कृषकों से भी काश्त करवाते थे। यह सही है कि विवादित खेत पर मेरा आना जाना नहीं रहता है वादग्रस्त आराजी की बिगोड़ी वादीगण के पूर्वज भरते हो तो मुझे जानकारी नहीं है। गवाह को वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स बताये जो प्रदर्श EXP 132 से 144 है। यह सही है कि मैं भी काश्तकार नहीं हूँ मैंने भी कभी खेती नहीं की है। उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया मेरी विनम्र राय में विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 को प्रतिवादीगण ने कूटरचित साबित नहीं कर सके हैं। विक्रय विलेख पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा-17 के तहत वैध विक्रय विलेख है। जिसका पंजीयन आवश्यक नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादीगण का कब्जा साबित है। वादीगण विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 के आधार पर एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या - 2 आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का

29/8/2018  
सहायक न्यायिक अधिकारी  
उपचारक अधिकारी  
नेपाड शहर (जोधपुर)

कब्जाकाशत साबित होने से एवं विक्रय विलेख अनुसार वादीगण खातेदार काशतकार घोषित होने के अधिकारी होने से तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या - 3** आया वादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी तरीके से हडपने के लिए वादीगण ने बदनियती से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झुठा दावा पेश किया है जो विधि द्वारा प्रवृत्तनित नहीं है, को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया। प्रतिवादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रदर्श-2 विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 को कूटरचित साबित नहीं कर सके। न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2)R.R.T पेज 873 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि - राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89, 91, 92 "ए" व 188 -पंजीयन अधिनियम 1908 धारा 17 -राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया व वाद डिक्की किया-अपंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा भूमि हस्तान्तरित की-विक्रय विलेख का मूल्य 100/-रुपये से कम था-दस्तावेज का पंजीयन आशयक नहीं था। "Burden to prove that will was forged or that is was obtained under undue influence or by playing a fraud, is on peson who alleges it to be so. प्रतिवादीगण विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 को कूटरचित साबित नहीं कर सके, इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या- 4** आया वादपत्र 1968 के इकरारनामे को आधार बनाकर पेश किया है जो अत्यधिक देरीना होने के कारण म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।, को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया। न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) R.R.T पेज 625 अर्जुन बनाम श्रीमती सन्दीव में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार घोषणा हेतु वाद में मियाद प्रावधित नहीं है हक घोषणा का वाद कभी भी लाया जा सकता है इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इस प्रकार उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या - 5** आया वाद 1968 के ईकरारनामे की पालना हेतु पेश किया है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।, को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया। वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 वैध विक्रय विलेख जो ईकरारनामा नहीं होने से उसकी पालना करवाने की कतई आवश्यकता नहीं है। तनकी संख्या तीन व चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित हो चुकी है यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।


**तनकी संख्या -6** आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जाकाशत की भूमि है, को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया, प्रतिवादीगण साबित नहीं कर सके। तनकी संख्या एक व दो वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है, तनकी संख्या तीन, चार व पांच प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित हो चुकी है। इसलिए उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या एक व दो वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 09.04.1968 वादीगण के पक्ष में निष्पादित होने से एवं वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जाकाशत साबित होने से वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काशतकार घोषित होने के अधिकारी है एवं वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।


29/8/24  
 सरदार केशवराव  
 उपजय अग्रणी  
 वीपीइ रस्तर (गोधुंदा)

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार व तनकीवार निर्णय के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरुन्दा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 616 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि के वादीगण को बेचान दस्तावेज 09.04.1968 के अनुसार सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है वादग्रस्त भूमि में से वादी संख्या एक को 1/3 वां हिस्सा का, वादी संख्या 2 से 13 को 1/3 वां हिस्सा व वादी संख्या 14 से 18 को 1/3 वां हिस्से का सहखातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें, वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जेकाशत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें न किसी अन्य के मार्फत करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हों। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी होकर मुर्तिब हों।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 पदेन उपखण्ड अधिकारी  
 पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 पदेन उपखण्ड अधिकारी  
 पीपाड़ शहर



डिकी ब मुकदमें इक्टदाई  
( आर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी)  
( Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर  
इजलास श्री दूदाराम हुड्डा R.A.S.  
बनाराम वगैरा बनाम रविन्द्र कुमार वगैरा

राजस्व मूल वाद संख्या 38/2014

बाबत 88,188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील ओमप्रकाश कच्छावाह मनजानिव मुदई वकील अब्दुल सलीम खान मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरुन्दा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 616

रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि के वादीगण को बेचान दस्तावेज 09.04.1968 के अनुसार सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादग्रस्त भूमि में से वादी सं. एक को 1/3 वां हिस्सा का, वादी सं. 2 से 13 को 1/3 वां हिस्सा व वादी सं. 14 से 18 को 1/3 वां हिस्से का

का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें, वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण

के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें न किसी अन्य के मार्फत करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हों। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी होकर मुर्तिब हों।

लीज ..... शून्य ..... मुवलिक ..... शून्य ..... बाबत ..... शून्य ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद ..... शून्य ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... शून्य ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/08/2024 को जारी की गई।



पक्षकार  
ओहदा  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
पीपाड़ शहर (जी.पी.ओ.)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक
मीजान.....			मीजान.....

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
पीपाड़ शहर (जी.पी.ओ.)